संख्याः856/2023/2638/35-4-2023/35-4099/21/2022

प्रेषक,

जे0 एल0 यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक: 12 अक्टूबर, 2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद-बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र-बिल्सी में राजकीय पॉलीटेक्निक, खेड़ा, बिल्सी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र-बिल्सी में राजकीय पॉलीटेक्निक, खेड़ा, बिल्सी के भवन निर्माण कार्य की शासनादेश सं0-49/2020/522/35-4-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रु. 2065.70 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस तथा जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-157/2021/1455/35-4-2021 27 सितम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 832.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तदोपरान्त मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुए शासनादेश संख्या-124/2022/324/35-4-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू0 2065.70 लाख के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू0 2097.45 लाख पर पुनरीक्षित किया गया। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-154/2023/297/35-4-2023/001-35-4099/21/2022, दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 540.30 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक लागत रू0 2097.45 लाख के सापेक्ष रू0 1572.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2. जिलाधिकारी, बदायूँ के पत्रांक: 902/त्वरित आर्थिक विकास योजना-2021, दिनांक-22 सितम्बर, 2023 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 1572.75 लाख का 75 प्रतिशत से अधिक उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष किश्त की धनराशि रू0 524.70 लाख (रूपये पांच करोड़ चौबीस लाख सत्तर हज़ार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, खेड़ा, बिल्सी, बदायूं का भवन निर्माण कार्य ।	2097.45	1572.75	524.70

1. सन्दर्भित शासनादेशों यथा दिनांक-31 मार्च, 2020 27 सितम्बर, 2021, दिनांक 31 मार्च, 2022 एवं दिनांक 28 फरवरी, 2023 एवं की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये धनराशि कुल रू0 5,24,70000 (रूपये पांच करोड़ चौबीस लाख सत्तर हज़ार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 420202104030302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

जे0 एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

संख्याः856/2023/2638/35-4-2023/35-4099/21/2022/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0 ।
9- प्रबन्ध निदेशक ,उत्तर प्रदेश सिडको, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बदायूँ ।
14- अधिशासी अभियंता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलेपमेंट, कार्पोरेशन बदायूँ ।
15- संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
16- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
जे0 एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।